Investment in India telecom sector by a Korean company

2767. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Samsung Company of Korea has decided to make its major overseas investments in India in telecom sector, as reported in the Hindustan Times of the 12th July, 1992;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether any agreement has been signed by the Korean company with any Indian company; and

(d) if so, what are the details about the terms of the agreement?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) Department of Telecom has not received any formal proposal for investment in India by M/s. Samsung Company of Korea in the Telecom Sector. However M/s. Eider Electronics Industries Ltd. have indicated in their tender for Paging services that Samsung Company of Korea may invest in Joint venture company for operating Paging services in India.

(c) Yes, Sir.

(d) (i) M/s. Samsung Electronics Company Ltd. Korea has signed an agreement with M/s. Modi Xerox Ltd. in India for the manufacture of Fascimile Systems and allied equipment. The terms of collaboration approval are:

Lumpsum Payment—Rs. 1 crore Royalty 5 per cent on domestic sales for a period of 5 years (net of taxes).

Duration of agreement—10 years from the date of agreement of 7 year from the date of commencement of commercial production.

(ii) M/s. Elder Electronics Industries Ltd. has signed an agreement with Samsung of Korea for participation in the Paging service tender of Department of Telecom. Agreement provides for transfer of Technology and the possibility of equity participation. Company has not given any other details.

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर न देना

2768. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि एक पत्र जिस पर उर्दू में पता लिखा था, एक सदस्य को लौटा दिया गया था और दिनांक 6 नवंबर, 1991 को उस संसद सदस्य द्वारा इस संबंध में मुख्य महा-डाकपाल, नई दिल्ली को भेजे गये एक पत्र और बाद में 13 जनवरी, 1992 और 2 जुलाई, 1992 को भेजे गये स्मरण पत्रों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और उस संसद सदस्य को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) उक्त कार्यालय को संसद सदस्यों से कुल कितने पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने पत्रों का अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) यह सच है कि पंजाब वक्फ बोर्ड, 5 सरदार पटेल मार्ग, अम्बाला कैंट से 7.9.91 को श्री मोहम्मद अफजल, संसद सदस्य को एक पत्र भेजा गया था जो उर्दू में लिखा हुआ था। यह पत्र उन्हें 22.10.1991 को वितरित किया गया था। इस संबंध में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली सर्किल, नई दिल्ली को माननीय संसद सदस्य का 6.11.1991 का एक पत्र प्राप्त हुआ था। दिल्ली सर्किल, नई दिल्ली के मुख्य पोस्ट-मास्टर जनरल ने 11.11.1991 को उक्त पत्र की प्राप्ति सूचना तत्काल भेज दी थी। इसके बाद माननीय संसद सदस्य से दिनांक 13.1.1992 और 2.7.1992 (न कि 2.8.1992) के दो पत्र और भी प्राप्त हुए थ।

थे । अंतिम जवाब 13.7.1992 को दिया गया था । माननीय संसद सदस्य को जवाब भेजने में विलम्ब हुआ कि उर्दू में लिखे गए पत्र के वितरण में विलम्ब की जांच करने में समय लगा क्योंकि यह एक अपंजीकृत साधारण पत्र था। विभाग द्वारा ऐसे पत्रों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है । तथापि, संसद सदस्यों के पत्रों पर त्वरित कार्रवाई और उनका त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए पहले दिए गए अनुदेशों को पुन: जारी किया गया है ।

(ग) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल दिल्ली सर्किल, नई दिल्ली को पिछले छह महीनों के दौरान संसद सदस्यों से 20 पत्र प्राप्त हुए । जुलाई, 1992 में प्राप्त चार पत्रों का अभी अंतिम रूप से निपटान किया जाना है ।

Alleged corruption in MTNL, Bombay

2769. SHRI VIREN J, SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister if COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in Mid-Day of Bombay of the 9th July, 1992 captioned "Private communication centre owners allege corruption in MTNL";

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether Government have made any enquiry about the alleged rampant corruption charges against the officials of the Mahanagar Telephone Nigam Limited, Bombay by the Private communication centre owners' Association in the sanctioning of licenfes;

(d) if so, what are the details thereof;

(e) what action has been taken against the officials found guilty of corruption charges; and

(f) what steps Government have taken or propose to take to streamline the procedure regarding the issue of licences and to check corruption?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) The allegation is that large sums of premium is being collected for issue of licences for private communication centres.

(c) and (d) The matter is under investigation,

(e) and (f) Further action will be taken on the basis of the results of the investigation.

उत्तर प्रदेश में एस. टी. डी. सुविधाएं

2770. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी:** क्या संचार मंत्री 10 मार्च, 1992 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न सं० 193 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों को एस० टी० डी० द्वारा जोड़ा गया है ; या

(ख) उनके कोड नम्बर और "पल्स रेटस" क्या-क्या हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश में 1993 और 1994 के वर्षों में किन-किन स्थानों पर एस० टी० डी. सुविधाएं प्रदान कर दी जायेंगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के एस. टी. डी. सुविधा युक्त 224 स्थानों के नाम, उनके कोड नंबर सहित